

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

डालचन्द सैनी बनाम श्रीचन्द चौधरी वगैरा

फर्दमा दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

मु० नं० 37/2024 सन -2024

ख  
म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज: 12/11/24

नम्बर व तारीख  
इहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए


7.2024

दावा वकील वादी श्री प्रतीक कुमावत विद्वान एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 26-07-2024 को पेश हो।

Notice  
468  
23/7/24

26.7.24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।  
पीएमसीन अधिकारी अन्व प्रशा० कार्यों  
में व्यस्त है। दिनांक.....  
को पेश हो। 13-8-24

  
उप खण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
अलवर  
अलवर

  
जज


13-8-24

जिला अधिवक्ता अज अदालत का कार्यालय  
जिला अदालत के कार्यालय पत्रावली पेश की  
दिनांक 12-11-24 को पेश हो

UT  
पत्रावली सं०-3  
की ओर से  
Pooja  
(पत्रावली पेश की)

07-10-24

जज की पूर्व निर्धारित दिनांक के पूर्व वादी  
वकील वादी के निवेदन पर तलब की गई निवेदन  
किया कि उनका आपसी हल पर सम्झौता हो  
गया है इसलिए उकारण को मांगी नहीं करना  
पाए है। इसी हल पर कोल सिद्ध करना  
पाए है। वादीपक्ष के हलाना मादेपक्ष पर  
कारणों से तब वकील वकील दावा पत्रावली की  
गई वादी/ वकील वादी को लुका गया वादी

पत्रावली शरीफ  
स्टील चद पेश की  
  
वकील वादी इजत उमा  
20/10/24

लगाता है।

अनुभव करने के उपरान्त डाक्टर बायीं स्त्रीका  
बिना जाकर बाय बायीं इली हकट पर  
स्त्रीका बिना जाता है फतावनी नमूना के  
कम हो बाय तकसील फतावनी बायवत  
दफतर हीने।

*D*

उपखण्ड अधिकारी

अलवर

डिप्टी कमिश्नर  
अलवर

अलवर जिला प्रशासनिक कार्यालय  
अलवर